न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 67 / 2019 **(RCMS No. 2019/00089)**

वादी

1. भींवाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहनराम पुत्र भागीरथराम
2. गुलाब देवी पुत्री स्व. गोरधनराम
3. गीता देवी पुत्री स्व. गोरधनराम
4. नरसाराम पुत्र स्व. गोरधनराम
5. भंवरी देवी पुत्री स्व. गोरधनराम
6. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. गोरधनराम
7. शिवदानराम पुत्र स्व. गोरधनराम
8. सूजाराम पुत्र स्व. गोरधनराम
9. रूघाराम दत्तक पुत्र स्व. केसाराम
10. सुगनी देवी पत्नि स्व. केसाराम

    भंवरलाल पुत्र लालाराम के कायम मुकाम :–
11. नारायणराम पुत्र स्व. भंवरलाल
12. गोपालराम पुत्र स्व. भंवरलाल
13. भागीरथराम पुत्र स्व. भंवरलाल सभी जाति जाट निवासीगण पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी
14. पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी राजस्थान राज्य सरकार
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बंटवारा होल्डिंग व स्थाई स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 9, 10, 12, 14 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक :– 14.10.2019

प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सरगोठ क[illegible]द में कृषि भूमि खसरा नम्बर 416 कुल रकबा 2.97 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 14 की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहखातेदारी की भूमि स्थित है, उक्त वादग्रस्त खसरें में वादी का 265/2376 हिस्सा अर्थात 0.33125 हैक्टर है, ग्राम सरगोठ की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 2.96 हैक्टर कुल रकबा 2.97 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 की सहखातेदारी की भूमि स्थित है, उक्त वादग्रस्त खसरो में वादी का 1/8 हिस्सा अर्थात 0.3712 हैक्टर है, वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 415, 415, 416 में वादी का 0.7025 हैक्टर हिस्सा आया हुआ है, वादी की कब्जा काश्त खसरा नम्बर 416 रकबा 2.97 हैक्टर में 0.7025 हैक्टर पर है एवं मौके पर वादी हक हिस्से अनुसार सींव नींव कायम है, वादी के पश्चिम दिशा में प्रतिवदी सं. 2 से 8 का हिस्सा आया हुआ है एवं वादी के पूर्व दिशा में प्रतिवादी सं. 9 व 10 का हिस्सा आया हुआ है, वादी के दक्षिण में कटाणी रास्ता स्थित है, वादी के कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा संलग्न है जो परिशिष्ट "क" है जिसको इस वाद का एक भाग समझा जावे। वादी उपरोक्त वादग्रस्त खसरो का काश्तकार है एवं बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कायम करवाने का अधिकारी है, वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 13 सहखातेदारान को अपनी खातेदारी सुदा भूमि 0.7025 हैक्टर का भू–विभाजन विधिवत रूप से करने हेतु कई मर्तबा कहा, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने पर वादी को यह वाद पेश करना पड़ा। वादी उपरोक्त वादग्रस्त खसरो का विधिवत खातेदार काश्तकार है एवं खातेदारी की हैसियत से काबिज है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है, प्रतिवादीगण 1 ता 13 ने धमकी दी है कि वे न तो भू–विभाजन करेंगें तथा न ही सही नाप चौक वादी को करने देंगे तथा वादी को ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकी दी है एवं वादी की खातेदारी सुदा व कब्जा सुदा भू–भाग को संयुक्त खातेदारी के इन्द्राज के आधार पर किसी भू–माफिया संगठन अन्य किसी संस्था के नाम विक्रय पत्र, बख्शीश पत्र व रहननामा इत्यादि कर देंगे ऐसा करने में प्रतिवादी 1 ता 13 सफल हो गये तो वादी को अपार क्षति होगी एवं वादी मुकदमेबाजी में उलझ जायेगा एवं उसकी पूर्ति होना असंभव होगा, बिनाय दावा अभी चौमासे की फसल [illegible] एवं उपरोक्त वादग्रस्त खसरो की भूमि का प्रतिवादी सं. 1 ता 13 [illegible] बंटवारे से इन्कार करने पर एवं हल्का पटवारी से 10.05.19 को खतौनी की नकले प्राप्त करने पर बमुकाम ग्राम सरगोठ में पैदा हुआ, वादी की इस्तदुआ है कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:37 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आशय की जारी फरमावे कि ग्राम सरगोठ की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 416 कुल रकबा 2.97 हैक्टर व खसरा नम्बर 414 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 415 रकबा 2.96 हैक्टर कुल रकबा 2.97 हैक्टर में 0.7025 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं इसी माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाया जाकर जहॉ तक सम्भव हो परिशिष्ट "क" के अनुसार वादी की अलग होल्डिंग कायम की जावे, माफिक आदेश प्रतिवादी सं. 15 को तहरीर जारी फरमाई जावे कि वह डिक्री के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद फरमाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं.1, 9, 10 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 से 8,, 11, 13, 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी सं. 12, 14 के अधिवक्ता एवं स्वय प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा चालू जमाबन्दी नकल एवं नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है। प्रस्तुत राजीनामा दिनॉक 25.09.2019 अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 9, 10 की ओर से निवेदन किया गया है कि ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 416 रकबा 2.97 हैक्टर में से 0.7025 हैक्टर वादी भींवाराम को , 1.4850 हैक्टर का प्रतिवादी सं. 9 रूघाराम व प्रतिवादी सं. 10 सुगनीदेवी को तथा खसरा नम्बर 415 रकबा 2.96 हैक्टर में से 1.98 हैक्टर का प्रतिवादी सं. 1 मोहनराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया है जिसका नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया है इसी अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई जिन्होने कथन किया है दिनॉक 25.09.2019 को प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक एवं प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार उनका वाद डिक्री किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे। ... पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया जिसमें जमाबन्दी ... 2073–76 अनुसार निम्न प्रकार इन्द्राज है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:37 IST
Reason: SelfAttested

नाम ग्राम	खाता सं.	ख. नं.	रकबा	काश्तकार का नाम दर्ज हक हिस्सा
सरगोठ	186	414	0.01गै.मुकुआ	1.गुलाबदेवी पुत्री गोरधनराम हिस्सा–1 / 56 जाट सा. देह खातेदार
		415	2.96 चाही 1	2.गीतादेवी पुत्री गोरधनराम हिस्सा–1 / 56 जाट सा. देह खातेदार
				3.नरसाराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा–1 / 56 जाट सा. देह खातेदार
				4.भंवरलाल पुत्र लालाराम हिस्सा–1 / 6 जाट सा. देह खातेदार
				5.भंवरीदेवी पुत्री गोरधनराम हिस्सा–1 / 56 जाट सा. देह खातेदार
				6.भींवाराम पुत्र गंगाराम हिस्सा 1 / 8 हिस्सा जाट सा. देह खातेदार
				7.मोहनराम पुत्र भागीरथराम –हिस्सा 1 / 3 हिस्सा जाट सा. देह खातेदार
				8.रूघाराम दत्तक पुत्र केशाराम –हिस्सा 1 / 8 जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1 / 8 (पूर्ण खाता)राज.मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी
				9.रामेश्वरीदेवी पुत्री गोरधनराम हिस्सा–1 / 56 जाट सा. देह खातेदार
				10.शिवदानराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा–1 / 56 जाट सा. देह खातेदार
				11.सुगनादेवी पत्नि केशाराम हिस्सा– 1 / 8 जाट सा. देह खातेदार
				12.सुजाराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा–1 / 56 जाट सा. देह खातेदार

नाम ग्राम	खाता सं.	ख. नं.	रकबा	काश्तकार का नाम दर्ज हक हिस्सा
सरगोठ	187	416	2.97	1.गुलाबदेवी पुत्री गोरधनराम हिस्सा–265 / 16632 जाट सा. देह खातेदार
				2.गीतादेवी पुत्री गोरधनराम हिस्सा–265 / 16632 जाट सा. देह खातेदार
				3.नरसाराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा–265 / 16632 जाट सा. देह खातेदार
				4.पशुपालन विभाग कुचामनसिटी राज.राज्य सरकार हिस्सा– 8 / 297
				5.भंवरलाल पुत्र लालाराम हिस्सा–1 / 6 जाट सा. देह खातेदार
				6.भंवरीदेवी पुत्री गोरधनराम हिस्सा–265 / 16632 जाट सा. देह खातेदार
				7.भींवाराम पुत्र गंगाराम हिस्सा 265 / 2376 हिस्सा जाट सा. देह खातेदार
				8.मोहनराम पुत्र भागीरथराम –हिस्सा 1 / 3 हिस्सा जाट सा. देह खातेदार
				9.रूघाराम दत्तक पुत्र केशाराम –हिस्सा 1 / 8 जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा–1 / 8 (पूर्ण खाता)राज.मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी
				10.रामेश्वरीदेवी पुत्री गोरधनराम हिस्सा– 265 / 16632 जाट सा. देह खातेदार
				11.शिवदानराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा–265 / 16632 जाट सा. देह खातेदार
				12.सुगनादेवी पत्नि केशाराम हिस्सा– 1 / 8 जाट सा. देह खातेदार
				13.सुजाराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा–265 / 16632 जाट सा. देह खातेदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:37 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त भूमि में पक्षकारान वादी एवं प्रतिवादी [illegible] 10 ने राजीनामा एवं प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार भूमि का बंटवारा चाहा गया है, जिसमें समस्त खातेदारान के हक हिस्से को ध्यान में रखते हुए तथा मुख्य रास्ते पर सभी को बंटवारे में भूमि दिये जाने तथा नजरी नक्शे में अंकित हक हिस्से अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने के कथन

अभिलिखत है जिनकी पुष्टि प्रस्तुत राजीनामा एवं राजस्व रेकार्ड एवं प्रस्तुत नजरी नक्शा से होती है, इस प्रकार प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद पक्षकारान डिक्री किये जाने योग्य होने से डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 416 रकबा 2.97 हैक्टर में वादी को 0.7025 हैक्टर राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार, प्रतिवादी सं. 9 रूघाराम दत्तक पुत्र केशाराम एवं प्रतिवादी सं. 10 सुगनीदेवी पत्नि केशाराम को 1.4850 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी, प्रतिवादी सं. 9, 10 का नाम खसरा नं. 414 एवं 415 में से नाम हटाया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खसरा नम्बर 415 रकबा 2.96 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 मोहनराम पुत्र भागीरथराम को राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रकबा 1.98 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 416, 414 में से प्रतिवादी सं. 1 मोहनराम का नाम हटाया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो, राजीनामा एवं राजीनामें के साथं प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा, डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 14.10.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:37 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या :– 67 / 2019 (RCMS No. 2019/00089)

वादी

1. भींवाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष निवासी पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मोहनराम पुत्र भागीरथराम
2. गुलाब देवी पुत्री स्व. गोरधनराम
3. गीता देवी पुत्री स्व. गोरधनराम
4. नरसाराम पुत्र स्व. गोरधनराम
5. भंवरी देवी पुत्री स्व. गोरधनराम
6. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. गोरधनराम
7. शिवदानराम पुत्र स्व. गोरधनराम
8. सूजाराम पुत्र स्व. गोरधनराम
9. रूघाराम दत्तक पुत्र स्व. केसाराम
10. सुगनी देवी पत्नि स्व. केसाराम
    भंवरलाल पुत्र लालाराम के कायम मुकाम :–
11. नारायणराम पुत्र स्व. भंवरलाल
12. गोपालराम पुत्र स्व. भंवरलाल
13. भागीरथराम पुत्र स्व. भंवरलाल सभी जाति जाट निवासीगण पदमपुरा तहसील कुचामनसिटी
14. पशुपालन विभाग, कुचामनसिटी राजस्थान राज्य सरकार
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा बंटवारा होल्डिंग व स्थाई स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता **है ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर खसरा नम्बर 416 रकबा 2.97 हैक्टर में वादी को 0.7025 हैक्टर राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार, प्रतिवादी सं. 9 रूघाराम दत्तक पुत्र केशाराम एवं प्रतिवादी सं. 10 सुगनीदेवी पत्नि केशाराम को 1.4850 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादी, प्रतिवादी सं. 9, 10 का नाम खसरा नं. 414 एवं 415 में से नाम हटाया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खसरा नम्बर 415 रकबा 2.96 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 मोहनराम पुत्र भागीरथराम को राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रकबा 1.98 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 416, 414 में से प्रतिवादी सं. 1 मोहनराम का नाम हटाया जाता है, शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु [illegible] जारी हो, राजीनामा एवं राजीनामें के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहे[illegible] भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... [illegible] खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह....

फीसदी

सालाना आज की तारिख से [illegible] का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी

राजस्व वाद क्र. 67/19 भींवाराम ४, मोहनराम वगैरह   निर्णय तिथि - 14.10.19

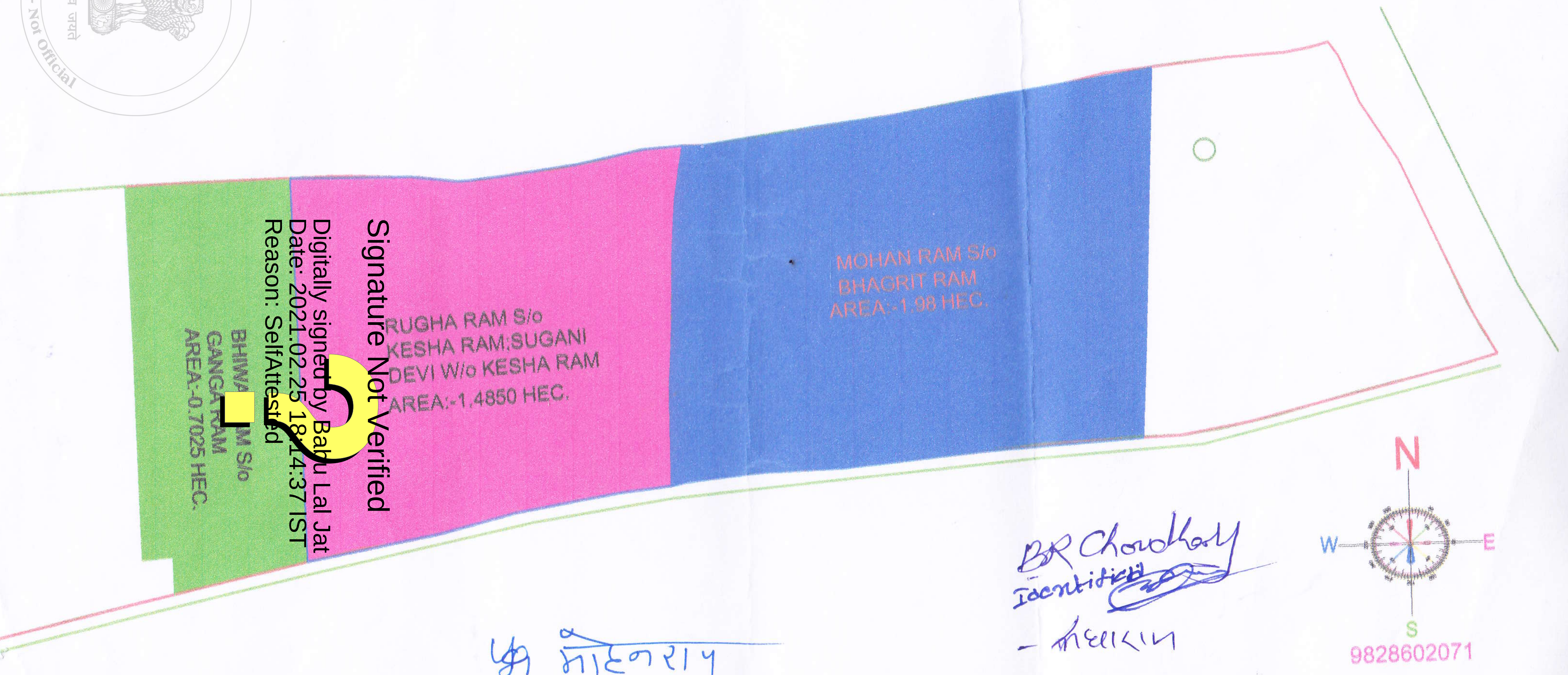

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:14:37 IST
Reason: SelfAttested

BR Choudhary
Identified
- नेमाराम

मोहनराम

Id.
Risnahn

सुगनी देवी

Id.
Risnahn

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)